चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर -२
प्रबन्ध मण्डल की ११७ वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : कुलपति समिति कक्ष, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

दिनांक : फरवरी २५, २००२
समय : पूर्वान्ह ११.०० बजे

उपस्थिति

१	डा० एस०बी०सिंह कुलपति	अध्यक्ष
२	डा० नसीम जैदी, कृषि सचिव	सदस्य
३	डा० आर०सी०महेश्वरी, सहायक महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य
४	श्री राजेन्द्र सिंह, निदेशक, कृषि	सदस्य
५	डा० हरी कृष्ण सक्सेना	सदस्य
६	श्रीमती मुन्नी देवी राजपूत	सदस्य
७	श्री अमर सिंह	सदस्य
८	श्री पुरूषोत्तम लाल तोशनीवाल	सदस्य
९	श्री आर० के० दीक्षित, अर्थ नियंत्रक	सचिव

अनुपस्थित

१	सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य
२	सचिव, वित्त	सदस्य
३	निदेशक, पशुपालन	सदस्य
४	श्री अशोक कुमार दुबे, सदस्य विधान परिषद	सदस्य
५	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, विधायक	सदस्य
६	श्री बाल चन्द्र मिश्र, विधायक	सदस्य

मद संख्या १

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक २३.११.२००१ को सम्पन्न हुई ११६वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने ११६ वीं बैठक जो दिनांक २३.११.२००१ को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या २

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की ११६वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक २३.११.२००१ को सम्पन्न हुई ११६वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही को प्रबन्ध मण्डल ने संज्ञान में लिया और निम्न निर्णय लिया:

प्रबन्ध मण्डल की ११५वीं बैठक में मद संख्या ५(अ) के अर्न्तगत कृषि सेवा वर्ग २ व वर्ग ३ के पदों पर नियुक्त याची तथा गैर याची के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि शासन से दोनों प्रकरणों पर निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया जाय। प्रबन्ध मण्डल की ११६वीं बैठक की कृत कार्यवाही के अर्न्तगत प्रबन्ध मण्डल द्वारा पुनः यह निर्णय लिया गया कि शासन से दोनों प्रकार के प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया जाय

तद्नुसार विश्वविद्यालय द्वारा शासन से अनुरोध किया गया किन्तु शासन का उत्तर अभी प्रतिक्षित है।

प्रबन्ध मण्डल की वर्तमान बैठक में इस प्रकरण पर पुनः विचार हुआ तथा यह निर्णय लिया कि (अ) याची कर्मियों जिनके लिए मा० उच्च न्यायालय से उच्च वेतनमान (रू० २२००-४०००) दिये जाने का निर्णय हुआ था तथा शासन से याचीगणों को नियुक्ति निर्गत करने हेतु पत्र आया था, शासन को संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए था । चूँकि प्रकरण में बहुत बिलम्ब हुआ है अतः कुलपति को आदेश निर्गत करने हेतु अधिकृत किया गया, (ब) जो याचीगण नहीं थे परन्तु याचीगण के समान योग्यता रखते हैं उनके बारे में शासन से शीघ्र निर्णय लेने हेतु पुनः अनुरोध करने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या ३

पिछली बैठक में आगामी बैठक तक के लिए स्थगित किये गये प्रकरण पर विचार।

(अ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों को शासनादेश संख्या -८४०/१२-८-४००/१९/९४ दिनांक १०.९.८४ के अधीन स्वीकृत किये गये प्रोन्नतियों / पदनामों को चयन समिति की संस्तुति के दिनांक से दिये जाने के संबध में प्रस्ताव पर विचार।

प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल ने विस्तृत विचार-विमर्श किया। सदस्यों का यह अभिमत था कि पदनाम दिये जाने में कोई वित्तीय भार निहित नहीं है अतः शिक्षकों को पदनाम चयन समिति द्वारा संस्तुति तिथि से ही दिया जाना चाहिए। पद नाम उस तिथि से न देने पर शिक्षकों की कार्य दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासन से प्रबन्ध मण्डल की उक्त भावना को व्यक्त करते हुये प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लिये जाने का पुनः अनुरोध किया जाय।

(ब) सहायक प्राध्यापक एवं समकक्षीय पदों पर नियुक्ति हेतु शासनादेश दिनांक ७ फरवरी,२००० एवं प्रबन्ध मण्डल की ११४वीं बैठक में अनुमोदित अर्हता को शिथिल किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल ने विचार किया और निर्णय लिया कि सहायक प्राध्यापक एवं समकक्षीय पदों पर निम्न योग्यता रखी जाय।

Essential Qualification :

Bachelor's degree with at least 55% marks or percentage system or its equivalent grade in the point scale system; and Master's degree in the concerned discipline with at least 60% marks or percentage system or its equivalent grade in the point scale system or Masters degree in the concerned discipline with at least 55% marks or percentage system or its equivalent grade in the point scale system followed by Ph. D. in the concerned discipline.

Desirable Qualification :

Eligibility test for lecturers conducted by UGC / CSIR or similar test held by different state government agencies accredited by UGC or National Eligibility Test conducted by ICAR / ASRB.

सहायक प्राध्यापकों की उक्त योग्यता प्रबन्ध मण्डल की वर्तमान बैठक के बाद से लागू मानी जायेगी।

मद संख्या ४

विज्ञापन संख्या १/२००१ द्वारा विज्ञापित कृषि संकाय, कानपुर एवं कृषि अभियंत्रण संकाय, इटावा के शैक्षिक पदों पर हुये साक्षात्कार के उपरान्त चयन संस्तुतियों के बन्द लिफाफे खोलकर नियुक्तियों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मंडल ने कृषि संकाय, कानपुर एवं कृषि अभियंत्रण संकाय, इटावा के शैक्षिक पदों पर चयन समितियों की संस्तुतियों को स्वीकार किया एवं नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

(अ) कृषि संकाय के शैक्षिक पद

		Selected	Waiting
1.	Associate Professor (Plant Pathology)	Dr. Mukesh Srivastava	1. Dr. Sunil Chandra Dubey 2. Dr. Krishna Pratap Singh
2.	Assistant Professor (Plant Pathology)	Dr. Mandvi Singh	1. Dr. Prabhat Mishra 2. Dr. Harshvardhan Singh 3. Dr. (Miss) Soma Das
		Mohd. Akram (OBC)	1. Dr. Ramesh Singh (OBC)
		Dr.Samir Kumar Biswas (SC)	1. Dr. Ram Dutta (SC)
3	Assistant Professor (Soil Science & Agril. Chemistry)	Dr. Anil Kumar	1. Dr. Prashant Srivastava 2. Km. Bhawana Joshi
4	Assistant Professor (Horticulture))	Sri Vivek Kumar Tripathi	1. Km. Manisha Narayan 2. Sri Pushpendra Pratap Singh 3. Sri Rajendra Singh
5	Assistant Professor (Animal Husbandry & Dairying)	Sri Ram Ji (OBC)	None
6	Assistant Professor (Soil Conservation & Water Management)	1. Dr. Kaushal Kumar (General) 2. Shri Sarvesh Kumar (OBC) (Mr. Sarvesh Kumar will be allowed to join only after the submission of Ph.D. Thesis)	None
7	Assistant Professor (Agril. Economics & Statistics)	None found suitable	

(ब) कृषि अभियंत्रण संकाय, इटावा

1	Associate Professor (Processing & Agriculture Structure)	Sri Vinod Kumar Verma (OBC)	1. Sri Shiv Kumar (OBC)
2	Associate Professor (Soil & Water Conservation Engineering)	Dr. Mohd Gurfran	1. Mr. Harish Chandra Singh
3	Associate Professor (Computer Science)	None found suitable	

मद संख्या ५

महामहिम कुलाधिपति द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक १३.०१.१९९८ द्वारा परिनियम के अध्याय १३ में विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता की नियुक्ति हेतु प्राविधानित प्रक्रिया में विद्वत परिषद की ८२वीं बैठक दिनांक ५.२.२००२ की अनुशंसा पर संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि अधिष्ठाता (Dean) तथा विभागाध्यक्ष (Head of Department) के चयन हेतु नीचे दी गयी प्रक्रिया से एवं नीचे दी गयी चयन समिति द्वारा किया जायेगा तथा उनकी समयावधि (Term) को भी संशोधित किया गया।

Dean

Dean of faculty shall be appointed through advertisement in three National dailies with following conditions.

(i) The term of appointment of Dean shall be of five years.
(ii) The term of Dean so appointed can be extended for a further period of five years but in no case the Dean so appointed can hold the post for more than two terms.

Selection committee for appointment of Dean

(i) The Kulpati who shall be the chairman
(ii) The Dean of faculty to be nominated by Kulpati
(iii) One representative to be nominated by Director General, ICAR, New Delhi
(iv) Two experts to be nominated by Kuladhipati
(v) One representative of OBC and SC/ST to be nominated by Vice-chancellor

Head of Department

The head of department shall be appointed from amongst

(i) Professor in the department possessing an aptitude for administration provided that he has not been debarred from holding any administrative office during proceeding three years.
(ii) The term of head of Deptt. shall be five years which can be extended for a period of 5 years.

Selection committee for appointment of Head of Deptt. shall consist of-

(i) Kulpati shall be the chairman
(ii) Dean of faculty concerned
(iii) On head of department to be nominated by Kulpati
(iv) One expert to be nominated by Kulpati
(v) One expert to be nominated by Director General, ICAR, New Delhi
(vi) One representative of OBC and SC/ST to be nominated by Kulpati
(vii) One representative of the Board of Management from Scientist catagory

प्रबन्ध मण्डल ने विभागाध्यक्ष की उपरोक्त चयन समिति में प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में डा० हरी कृष्ण सक्सेना को एक वर्ष के लिए नामित किया ।

मद संख्या ६

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-८३६/एसबी/१९९४ (रिसर्च असिस्टेंन्ट बनाम राज्य सरकार व अन्य) पर दिनांक १८.८.९९ को दिये गये निर्णय के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या-२५९२(क)/१२-८-२००१-३०(२२)/९४ दिनांक १ अक्टूबर २००१ के सापेक्ष प्रश्नगत ५२ याचीगणों को शिक्षक घोषित किये जाने हेतु विद्वत परिषद की ८२वीं बैठक दिनांक ५.२.२००२ में की गई अनुशंसा पर विचार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने याचिका संख्या ८३६ एस०बी०/९४ पर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक ८.८.१९९९, शासनादेश संख्या-२५९२(क)/१२-८-२००१-३० (२२)/९४ दिनांक १ अक्टूबर २००१ तथा विद्वत परिषद की ८२वीं बैठक दिनांक ५.२. २००२ की संस्तुतियों तथा शोध सहायक संगठन (Association) के १२६ शोध सहायकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन को संज्ञान मे लेकर निर्णय लिया गया कि ५२ याचीगणों में से जो शोध सहायक निम्न शैक्षिक योग्यता रखते हैं उन्हें शिक्षक घोषित कर दिया जाय।

Essential Qualification :

Bachelor's degree with at least 55% marks or percentage system or its equivalent grade in the point scale system, and Master's degree in the concerned discipline with at least 60% marks or percentage system or its equivalent grade in the point scale system or Masters degree in the concerned discipline with at least 55% marks or percentage system or its equivalent grade in the point scale system followed by Ph. D. in the concerned discipline.

Desirable Qualification :

National Eligibility Test conducted by ICAR, ASRB or similar test held by different state government agencies accredited by UGC or eligibility test for lecturers conducted by UGC / CSIR.

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त निर्णय से शासन को अवगत कराया जाय तथा शासन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया जाय।

मद संख्या ७

कृषि महाविद्यालय में तीन नये विभाग खोले जाने पर विचार ।

विद्वत परिषद की ८२वीं बैठक दिनांक ५.२.२००२ के प्रस्ताव संख्या १३७७ द्वारा संस्तुत निम्न तीन विभागों को विश्वविद्यालय में खोले जाने पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा सहमति दी गई।

१. फारेस्ट्री
२. बेजीटेबिल सांइस
३. एग्री० बिजनेसमैनेजमेन्ट

प्रबन्ध मण्डल ने विद्वत परिषद की इस संस्तुत को भी स्वीकार किया कि वर्ष २००२-२००३ में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी०एस-सी० (वानिकी) में ३० सीटें,

एम०एस-सी०एजी० बेजीटेबिल सांइस में ८ सीटें तथा एग्री० बिजिनेस मैनेजमेन्ट में ३० सीटें भरी जायें।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिये कि उक्त कोर्स को इस प्रकार संचालित किया जायेगा कि उत्तर प्रदेश शासन से धनराशि की माँग न करनी पड़े तथा आगामी बैठक में उक्त तीनों कोर्सों को चलाने हेतु प्रोजेक्ट रिर्पोट प्रस्तुत की जाय।

मद संख्या ८ **डा० के० एन० तिवारी, भूतपूर्व, कृषि रसायनज्ञ, मृदा एवं कृषि रसायन विभाग का दिनांक १८.१.१९९८ (१४३ दिन) का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या ९ **विश्वविद्यालय के विषम वित्तीय स्थिति पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय की विषम आर्थिक स्थिति को संज्ञान में लिया तथा निर्देश दिये कि शासन स्तर पर और अधिक पैरवी कर अनुदान प्राप्त करने की शीघ्र कार्यवाही किया जाय।

मद संख्या १० **डा० अशोक कुमार सहायक आचार्य मेडिसिन विभाग, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय मथुरा का दिनांक ५.११.२००१ से त्याग पत्र स्वीकार किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या ११ **डा० सी० एन० चौबे, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग की दिनांक २३.६.१९९६ से ३० मार्च १९७५ तक की गयी सेवाओं को पेन्शन गणना हेतु जोडे जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १२ **निदेशक प्रसार के अधीन विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य) आगरा के पद पर डा० अजय कुमार का उक्त पद से दिनांक २२.१.२००२ के अपरान्ह से त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १३ **डा० ओमपाल सिंह, सहायक प्राध्यापक, सस्य विज्ञान विभाग का चिकित्सा अवकाश दिनांक १७ मार्च २००१ से ०६ नवम्बर २००१ तक स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

यह प्रस्ताव वापस लिया गया ।

मद संख्या १४

डा० एस० के० सिंह, सहायक प्राध्यापक, कीट विज्ञान विभाग का दो वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १५

डा० राम नाथ, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग, जो दिनांक ७-७-९७ के अपरान्ह से दिनांक ७-७-२००० तक इस विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर कार्यरत थे, की पेन्शन आंगणन हेतु दिनांक ८-७-९७ से दिनांक ३०-६-२००० तक की सेवायें जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १६

डा० अरविन्द कुमार सिंह, सह-प्रशिक्षक/कनिष्ठ वैज्ञानिक (उद्यान) कृषि विज्ञान केन्द्र, मरारी झांसी में कार्यरत को एक वर्ष दिनांक ९.३.२००२ से ८.३.२००३ तक का धारणाधिकार सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १७

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की शैक्षिक प्रगति, वित्तीय प्रगति तथा शोध एवं प्रसार प्रगति पर आख्या।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय की शैक्षिक, शोध, प्रसार एवं वित्तीय प्रगति को संज्ञान में लिया। प्रबन्ध मण्डल ने शैक्षिक एवं शोध के क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना की एवं निम्न सुझााव दिए :

१. शोध हेतु Rural Development, Irrigation Development, Water Management आदि विभागों में भी योजनायें भेजी जायें एवं धनराशि प्राप्त की जाए।

२. प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रतिवर्ष कम से कम २ योजनायें भेजना अनिवार्य किया जाय।

३. जिन शिक्षकों की योजनायें स्वीकृत होकर आती हैं उनको प्रतिमाह मानदेय दिये जाने पर प्रस्ताव विचार हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

४. एम०एस-सी०एजी० में प्रवेश हेतु बी०एस-सी०एजी० में ६५% के स्थान पर ६०% अंक की आर्हता रखी जाये।

मद संख्या १८

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार।

मद संख्या १८ (अ)

डा० जे०पी०यादव, निदेशक प्रसार द्वारा वैज्ञानिक आदान-प्रदान योजना में प्राप्त धनराशि का उपयोग न किये जाने के सापेक्ष कारण बताओ नोटिस पर प्राप्त स्पष्टीकरण एवं विश्वविद्यालय की आख्या।

प्रबन्ध मण्डल ने डा० जे०पी०यादव, निदेशक प्रसार को निर्गत कारण बताओ नोटिस पर उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं विश्वविद्यालय की आख्या पर विचार किया। प्रबन्ध मण्डल ने स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाया तथा निर्णय लिया कि डा० जे०पी०यादव को उनके उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता करने के लिए परिनिन्दा प्रविष्टि दी जाये।

मद संख्या १८ (ब)

विश्वविद्यालयों में कार्यरत सहायकों/अवर अभियन्ताओं/ सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति की नीति निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया और निर्देश दिये कि प्रस्ताव को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विवरण सहित निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।

27.2.02

(राजीव कुमार दीक्षित)
अर्थनियत्रंक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

दिनांक : फरवरी २७, २००२